

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं एवं भू-अर्जन अधिकारी, नवागढ़ जिला-बेमेतरा
ज्ञापन

क्रमांक/1101/प्र-2/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2026

नवागढ़, दिनांक...16/07/2026

प्रति,

संचालक,

संचालनालय जनसंपर्क (विज्ञापन शाखा)

इन्द्रावती भवन नया रायपुर

जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय:

आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2016 के तहत "सार्वजनिक सूचना" का प्रकाशन बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग बेमेतरा संभाग बेमेतरा उपसंभाग के अंतर्गत बेमेतरा-नवागढ़-मुंगेली मार्ग में प्रभावित निजी भूमि ग्राम खपरी एन, प.ह.नं. 15, तहसील नवागढ़ जिला बेमेतरा को आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2016 के तहत कय किये जाने हेतु सार्वजनिक सूचना का आपके कार्यालय के वेबसाईट में अपलोड किया जा रहा है। कृपया एक स्थानीय समाचार पत्र एवं एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर ईशतहार की एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न:- सार्वजनिक सूचन की प्रति।


अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
नवागढ़, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

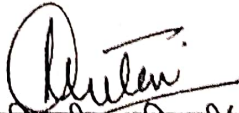
पृक्रमांक/1101/प्र-2/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2026

नवागढ़, दिनांक...16/07/2026

प्रतिलिपि:-

- 1- कलेक्टर जिला बेमेतरा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
- 2- प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) बेमेतरा की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित। कृपया वेबसाईट में अपलोड कर सूचना कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बेमेतरा में देना सुनिश्चित करें।
- 3- कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग बेमेतरा संभाग बेमेतरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उप संभाग नवागढ़।
- 4- तहसीलदार नवागढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 5- सरपंच ग्राम पंचायत खपरी (एन) विकासखण्ड नवागढ़ जिला बेमेतरा की ओर प्रेषित। सूचना पटल पर चस्पा कर प्रकाशित करें।




अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
नवागढ़, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा, जिला-बेमेतरा

// सार्वजनिक सूचना //

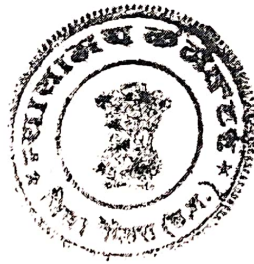
राज्य शासन के विभाग कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग बेमेतरा, संभाग बेमेतरा जिला बेमेतरा के अंतर्गत बेमेतरा-नवागढ़-मुंगेली मार्ग निर्माण कार्य में प्रभावित निजी भूमि ग्राम -खपरी (एन) पटवारी ह.नं. 15 तहसील नवागढ़, जिला-बेमेतरा (छ.ग.) की आवश्यकता होने से राज्य शासन विभाग निम्नांकित कृषकों की भूमि आपसी सहमति से क़य नीति 2016 के तहत करना चाहता है -

क्र.	भूमिस्वामी का नाम पिता/पति का नाम	क़य करने हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण		कैफियत
		खसरा नं.	रकबा	
1	दिनेश पिता भागवत, रामबाई पति भागवत	384	0.01	

यदि किसी व्यक्ति या संस्था को क़य-विकय या स्वत्व में कोई आपत्ति हो तो वह आधारों एवं सुसंगत दस्तावेजों सहित लिखित दावा/आपत्ति स्वयं या अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 22/07/26 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि पश्चात् प्रस्तुत दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 14/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया।

Dr. Anil
अ.वि.अ. नवागढ़



कलेक्टर एवं जिला भू-अर्जन अधिकारी,
जिला-बेमेतरा (छ.ग.)